HIGH COURT AT ALLAHABAD

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 33380 of 2024

Shafiq

.....Applicant(s)

Versus

State Of Up And 3 Others

.....Opposite Party(s)

Counsel for Applicant(s)	:	Hari Shankar Singh, Ram Gopal, Vinay Bhushan Upadhyay
Counsel for Opposite Party(s)	:	G.A.

Court No. - 65

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सूना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

2. कुछ देर तक बहस होने के पश्चात् जब न्यायालय द्वारा ossification test के अनुसार पीड़िता की उम्र के बारे में पूछा गया तो आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अवगत कराया कि अभी तक पीड़िता का ossification test नहीं हुआ है।

3. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि मु०अ०सं० 267 सन 2023 अंतर्गत धारा 376/ 506 भा.दं.सं. एवं 3/4 पाक्सो एक्ट, थाना कलवारी, जिला बस्ती की पीड़िता का ossification test यदि अभी तक संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित बोर्ड से नहीं कराया गया है तो उसका ossification test आज से 4 सप्ताह के अंदर कराया जाय तथा उक्त टेस्ट कराने के पश्चात या यदि पूर्व में ही ossification test कराया गया हो तो संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि उक्त ossification report सीलबंद लिफाफे में, इस न्यायालय में अगली नियत तिथि तक उपलब्ध कराया जाय।

5. रजिस्ट्रार कंप्लायंस को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश से, संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को 48 घंटे के अंदर अवगत कराया जाय।

6. इस आदेश की प्रतिलिपि रजिस्टार कंप्लायंस एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को अविलंब प्रदान की जाय।

7. इस वाद को दि० **06.02.2026** को अतिरिक्त वाद सूची में सूचीबद्ध किया जाय।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

January 6, 2026

S.Mishra

Digitally signed by :-
SHASHI MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad